अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

योगेश स्वामी बनाम प्रेमरतन आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट**

प्रकरण संख्या 63 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
08.04.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 45/41 की कुल तादादी 5.6280 हैक्ट भूमि में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 191/180 की कुल तादादी 8.6020 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 03.05.2024 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	
3/5/24	वकील सायल उपस्थित गैरसायलान की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश पर पत्रावली दिनांक 18/7/24 को पेश हो [signature]	
18/7/24	वकील सायल उपस्थित गैरसायलान की तलबी हेतु सम्मन रजिस्टर्ड पेश नहीं अत पेश करे। पत्रावली दिनांक 23/9/24 को पेश हो [signature]	
18/9/24	वकील सायल [illegible] पेश हुई वकील सायल [illegible] ने निवेदन किया की [illegible] राजीनामा हो [illegible] नहीं चाहते खारिज कराने [illegible] सायल स्वयं दावा अथवा प्रार्थनापत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है। दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	परवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:24 IST
Reason: SelfAttested